आहे/मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी
12/8/11

संख्या–1651 /अट्ठासी–11–55खा./11टी0सी0

प्रेषक,

स्तुति कक्कड़,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2011

विषयः–खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 में अभिहित अधिकारी नियुक्त करने एवं खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.2 के उपनियम 1 में अभिहित अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का प्रविधान है।

2. सूच्य है कि शासनदेश संख्या–1217/अट्ठासी/2011–55खा0/11टी.सी.II दिनांक 11.08.2011 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु अभिहित अधिकारी के 72 पदों का सृजन वेतन बैण्ड–3 रू0 15,600–39100 ग्रेड पे रू0 5400/– में किया गया है। तद्नुसार सेवा नियमावली का निर्माण किये जाने एवं अभिहित अधिकारी के नियमित चयन होने में अभी समय लगने की सम्भावना है।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोंपरान्त खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.2 के उपनियम 1 के अनुसार अभिहित अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जनपद में तैनात मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 में विहित कर्तव्यों एवं शक्तियों के निर्वहन हेतु, दिनांक 05.08.2011 से, उनके कार्यों के साथ–साथ पूर्णतयाः अस्थायी रूप से कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अतिरिक्त प्रभार हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे तथा इस आधार पर भविष्य में अभिहित अधिकारी के पद हेतु उनका कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। उक्त अभिहित अधिकारी को खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2.4.1 के उपनियम 9 (iv) के प्राविधानों के अन्तर्गत कोड स्लिप जारी करने हेतु अधिकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

4. अतः अनुरोध है कि कृपया खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उ0प्र0 के रूप में उपरोक्तानुसार संगत आदेश (आलेख्य का प्रारूप संलग्न) निर्गत करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया,
स्तुति कक्कड़
(स्तुति कक्कड़)
प्रमुख सचिव।

12/8/11

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–एफ0डी0ए0/2011/3389 लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2011

कार्यालय–आदेश

शासनादेश संख्या–1651/अट्ठासी–11–55खा./11टी0सी0 दिनांक 12 अगस्त 2011 के क्रम में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 के अधीन एवं खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.2 के उपनियम 1 के प्राविधानानुसार जनपद में तैनात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम/विनियम, 2011 में विहित कर्तव्यों एवं शक्तियों के निर्वहन हेतु एतदद्वारा दिनांक 05.08.2011 से उनके कार्यों के साथ–साथ पूर्णतया अस्थायी रूप से कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक अभिहित अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है। इस अतिरिक्त प्रभार हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे तथा इस आधार पर भविष्य में अभिहित अधिकारी के पद हेतु उनका कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। उक्त अभिहित अधिकारी को खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2.4.1 के उपनियम 9 (iv) के प्राविधानों के अन्तर्गत कोड स्लिप जारी करने हेतु भी अधिकृत किया जाता है।

(अर्चना अग्रवाल)
खाद्य सुरक्षा आयुक्त।

संख्या–एफ0एस0डी0ए0/2011/3389 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संयुक्त आयुक्त (प्रयोगशाला), राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ओ0पी0 वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन)।